

कार्यालय

संयुक्त

निदेशक

फायर

सर्विस

मुख्यालय।

पत्रांक:आर-27/जे0डी0/लखनऊ-14(जीएन)

190

दिनांक:मार्च

28

,2014

सेवा में,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)

यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण,

ग्रेटर नौएडा गौतमबुद्धनगर।

विषय: मैसर्स सोलिटियर रीयल इन्फ्रा प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0-जी0एच0-बी-2, सेक्टर-25, जे0पी0 ग्रीन्स स्पोर्ट सिटी (एसडीजैड) यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग "सोलिटियर सिटी" भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लॉट पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या दिनांक: 21-03-2014 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी तथा उनके द्वारा आख्या का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण करने के उपरान्त अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-प्लॉट एरिया-45,389.00 वर्ग मी0 जिनका टावर वाईज एरिया विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	ऊँचाई मी0 में	
1	टी-1	बेसमेन्ट+भूतल+26 तल	903.141	740.961	84.250	
2	टी-2	बेसमेन्ट+भूतल+26 तल	1035.768	853.546	83.400	
3	टी-3	बेसमेन्ट+भूतल+26 तल	1035.768	853.546	83.400	
4	टी-4	बेसमेन्ट+भूतल+26 तल	947.214	766.676	83.400	
5	एस-1	बेसमेन्ट+भूतल+27 तल	808.00	468.625	94.650	
6	एस-2	बेसमेन्ट+भूतल+18 तल	665.757	496.067	59.00	
7	एस-3	बेसमेन्ट+भूतल+18 तल	654.876	491.537	59.00	
8	एस-4	बेसमेन्ट+भूतल+18 तल	665.757	496.067	59.00	
9	एस-5	बेसमेन्ट+भूतल+27 तल	1309.00	779.603	91.175	
10	विलाज	टाइप ए	10	जी+2	214.529 / 320.155	191.403 / 167.267 / 139.032 / 285.55 / 251.64 / 255.80
		टाइप बी	08	जी+2	391.967	302.084 / 342.649 / 270.085
		टाइप सी	05	जी+1	104.35	80.23 / 53.798
		टाइप एफ	07	जी+2	171.239	167.807 / 147.058 / 86.915
11	क्लब	भूतल+प्रथम	544.50			

बेसमेन्ट एरिया- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन में बेसमेन्ट प्रस्तावित है जिसका कवर्ड एरिया-38,010.63 वर्ग मी0 है।

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1- **पहुंच मार्ग:-** भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 45 मानको के अनुसार अंकित की गई है तथा दूसरी तरफ भी 45 मी0 चौड़ा रोड है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2- **सैटबेक:-** प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-16.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-12.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-12.00 मी0।

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
स.प्र.०, लखनऊ

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-12.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरों के चारों ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में 02 स्टेयरकेश प्रस्तावित है, जिनकी चौड़ाई 1.5 एवं 1.25 मी0 तथा बेसमेन्ट में रैम्प मानको के अनुसार प्रस्तावित है, निकास मार्गों की फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जायेगा।

4-रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है, जो रिफ्यूज एरिया जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वाँछनीय है।

1-भूमिगत:-प्रश्नगत भवन में 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

2-पम्पस:-भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद में पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वाँछनीय है।

3-टेरिस टैंक:-प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 पच्चीस हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

4-होजरील:- प्रस्तावित भवन में प्रत्येक टावर में प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वाँछनीय है।

5-डाउनकामर:- प्रस्तावित भवन में प्रत्येक टावर में डाउनकामर का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वाँछनीय है।

6-वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0-3844 मानको के अनुसार वाँछनीय है।

7-यार्ड हाईड्रेण्टस:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वाँछनीय है।

8-ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार वाँछनीय है।

9-ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में सम्पूर्ण तलों पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

10-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के अनुसार वाँछनीय है।

12-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

13-एग्जिट साईनेज:- समस्त टावरों में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

14-पी0ए0 सिस्टम:- समस्त टावरों में पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

15-हैलीपैड:- प्रश्नगत भवन में हैलीपैड का प्राविधान एन0बी0सी0 मानक के प्रस्तर सी0-10 के अनुपालन में वाँछनीय है जो टावर एस-1 में प्राविधानित है।

16-प्रशिक्षित स्टाफ:- प्रश्नगत भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0-2005 के प्रस्तर सी0-6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वाँछनीय है।


17-वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन में उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को अधिष्ठापित कराये जाने के उपरान्त एवं फायरमैन लिफ्ट तथा भवन को बिल्कुल अलग से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था मानको के अनुसार वाँछनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वाँछनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स सोलिटियर रीयल इन्फ्रा प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0-जी0एच0-बी-2, सेक्टर-25, जे0पी0 ग्रीन्स स्पोर्ट सिटी (एसडीजैड) यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग "सोलिटियर सिटी" भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ

संयुक्त निर्देशक
फायर सर्विस मुख्यालय
द.प्र.०, लखनऊ

इण्डिया-2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदद।


(पी० के० रोव)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
लखनऊ, उ०प्र०
स.प्र.०, लखनऊ

- प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को सूचनार्थ।
2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ।
3-अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4-मैसर्स सोलिटियर रीयल इन्फ्रा प्रा० लि० द्वारा प्लाट न०-जी०एच०-बी-2, सेक्टर-25, जे०पी० ग्रीन्स स्पोर्ट सिटी (एसडीजैड) यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।